न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 30/23
GCMS NO-2023/193 सन् 2023

बउनवानी:— 1. ज्ञानचन्द पुत्र श्री गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम व तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 313/2023 निर्णय दिनांक 19.10.2023 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :— 1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय वकील अपीलान्ट
2. श्री विनोद कुमार शर्मा नायब तहसीलदार.(पैरोकार)

—: निर्णय :— दिनांक 22.05.2024

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 313/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2023 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल किया जाकर 40 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एंव विपक्षी को भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2080 (खरीफ) मे वाके ग्राम चौथ का बरवाडा बी तहसील चौथ का बरवाडा की भूमि आराजी ख0न0 3276 रकबा 0.36 है0, किस्म बारानी पर उडद की फसल एवं ख0न0 3278 रकबा 0.12 है0 किस्म चाही पर जोत लगाकर अतिक्रमण करने के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूँठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। यह कथन भी किया कि अपीलान्ट 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है जो चलने फिरने मे भी असमर्थ होने के कारण कृषि का कार्य किया जाना किसी भी तरह सम्भव नही है। विवादित भूमि ख0न 3244 गै0मु0 सड़क एवं 3277 जो कि अपीलान्ट के पुत्र प्रदीप कुमार व पोत्र राहुल कुमार के नाम खातेदारी मे दर्ज है के बीच एक पटटीनुमा भूमि है जिसका अनुमान भी नही लगाया जा सकता है कि यहॉ कोई सरकारी भूमि है। इसलिए पटवारी हल्का द्वारा मुझ असहाय एवं वृद्ध व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना भी न्यायसंगत नही है। मुझ अपीलान्ट का मौके पर कब्जा नही होने बाबत दिये गये जवाब को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया है। यह तर्क भी दिया कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की तारीफ मे नही आता है क्योकि पूर्व मे पारित निर्णय के क्रियान्वयन मे [illegible] अपीलान्ट को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल नही किया है। आदेश जैर [illegible] नही थी तहसील मे जाकर दिनांक 11.12.2023 को नकल [illegible] प्राप्त जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ [illegible] है। अतः आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:08:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(अपील संख्या 30/2023 उनवानी ज्ञानचन्द बनाम सरकार)

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस मे कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है तो पत्रावली में विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की अपीलान्ट के पुत्र से करवायी गई तामील से हो जाती है, क्योंकि नोटिस की पालना में अपीलान्ट का पोत्र अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 19.10.2023 को उपस्थित हुआ है किन्तु विवादित भूमि पर अतिमक्रमण के संबंध में किसी प्रकार का जवाब पेश नही किया है। इसके पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा तलब की गयी मौका रिपोर्ट दिनांक 23.1.2024 मे अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि ख0न0 3276 रकबा 0.36 है0 पर गेंहूॅ ,चना, सरसों तथा ख0न0 3278 रकबा 0.12 है0 पर सरसों फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिये जाने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अतिकमित भूमि पर से अभी तक भी अतिक्रमण नही हटाया है। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अपना अतिक्रमण नही होने बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पेरौकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूॅचता हूॅ कि अदालत मातहेत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट के पोत्र द्वारा दिनांक 19.10.2023 को न्यायालय मे उपस्थित हुआ है किन्तु अतिक्रमण हटाने के संबंध मे अपनी ओर से कोई लिखित जवाब पेश नही किया है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पैरा 2 मे यह अंकित किया हैकि **" सुनवायी दिनांक को अतिकमी ने उपस्थित न्यायालय होकर अतिक्रमण होना स्वीकार किया एवं अतिक्रमण हटाने हेतु 7 दिवस का समय दिया गया।"** इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट स्वंय न्यायालय मे उपस्थित नही होने के बावजूद भी उपस्थित दिखाया गया है तथा न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को , सात दिवस मे कब्जा हटाने का समय दिया जा रहा है तथा दुसरी ओर उसी दिनांक 19.10.2023 को 40 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जा रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कब्जा हटाने बाबत 7 दिवस का समय भी नही दिया गया है। उपरोक्त विवेचन से यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं अतिक्रमण हटाने हेतु समुचित अवसर नही दिया है ओर ना ही पत्रावली में सम्पूर्ण दस्तावेज हमफीता किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझता हूॅ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि स्वंय अपीलान्ट को युक्तियुक्त सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण, बेदखली,फसल कुर्की, पूर्व मे पारित निर्णय, पटवारी बयान इत्यादि दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रदर्श करते करे एवं विवादित भूमि पर वर्तमान में पुत्र का कब्जा है या अपीलान्ट का कब्जा है इत्यादि तथ्यों की जॉच कर करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिवत निर्णय पारित करे। अपीलान्ट 30 दिवस के अन्दर अपना पक्ष रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.5.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:08:34 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner